

राजस्थान विधान सभा

अष्टम सत्र

कार्य-सूची

गुरुवार, दिनांक 26 अप्रैल, 2012

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(अ) प्रतिवेदन

श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन संख्या-3 (राजस्व प्राप्तियों) को सदन की मेज पर रखेंगे ।

(ब) वार्षिक प्रतिवेदन

डॉ. दयाराम परमार उच्च शिक्षा राज्यमंत्री, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर के अधिनियम, 1962 की धारा-39 के अन्तर्गत मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 सदन की मेज पर रखेंगे ।

3. विधायी कार्य

(अ) पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक

राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास विधेयक, 2012

- (I) श्री अशोक बैरवा, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास विधेयक, 2012

(2012 का विधेयक संख्या-24)

"भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास करने के लिये और इससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(ब) विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता विधेयक, 2012

- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता
विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-19)
- (I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
"उपापन प्रक्रिया में पारदर्शिता, बोली लगाने वालों के उचित एवं साम्यापूर्ण व्यवहार, प्रतियोगिता में अभिवृद्धि करने, दक्षता और मितव्ययिता को बढ़ाने और सत्य निष्ठा के संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्यों सहित लोक उपापन और इससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के विनियमन के लिये विधेयक ।"
(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(II) राजस्थान सुनवाई का अधिकार विधेयक, 2012

- राजस्थान सुनवाई का अधिकार
विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-22)
- (I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
"जनता को नियत समय-सीमाओं के भीतर सुनवाई का अधिकार प्रदान करने तथा उनसे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"
(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(III) राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012

- राजस्थान जल संसाधन
विनियामक विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-20)
- (I) श्री हेमाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
"राजस्थान राज्य में जल संसाधनों को विनियमित करने, जल संसाधनों के उचित, साम्यापूर्ण और वहनीय प्रबंध, आवंटन और उपयोग को सुकर बनाने और सुनिश्चित करने, पीने के, कृषिक, औद्योगिक और अन्य प्रयोजनों के लिये जल के उपयोग हेतु दरें नियत करने के लिये राजस्थान जल संसाधन विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने या उससे संसक्त या आनुषंगिक मामलों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"
(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

कृष्ण मुरारी गुप्ता
उप सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 25 अप्रैल, 2012

नोट – शून्यकाल नहीं होगा ।